संख्या– 3201 / 14–2–2018–800(68) / 2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर 2018

विषयः– जनपद–चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं0–76 / 35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 / 11 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–636 / 11सी एफ / यूपी / ट्रांस / 29629 / 2017, ,दिनांक–20–9–2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कतिपय सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु शासन में उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20–9–2018 की प्रति समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद–चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं0–76 / 35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 / 11 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–3201 (1) / 14–2–2018–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण चित्रकूट।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव